मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 136
18.07.2022 को उत्तर के लिए

पुराने कारखानों से प्रदूषण

136. श्री विजय कुमार दुबे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के शहरों और कस्बों के बीच में स्थित पुराने कारखाने पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की उक्त फैक्ट्रियों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने या हटाने की कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार की उत्तर प्रदेश के शहरों के बीच में चल रही चीनी मिलों को विस्थापित करने की योजना है ताकि इन शहरों को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखा जा सके; और

(घ) इस संबंध में प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को निदेश दिया है कि उद्योगों का स्थान निर्धारण केवल अनुरूप क्षेत्रों में होना चाहिए। एसपीसीबी/पीसीसी को प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएं तैयार करनी चाहिए और अनुपालन के सत्यापन के लिए औद्योगिक निगरानी करनी चाहिए।

भारत संघ की उत्तर प्रदेश में शहरों के बीच में चल रही चीनी मिलों सहित किसी भी फैक्ट्री को बंद या विस्थापित करने के लिए कोई भी विशिष्ट योजना नहीं है। देश भर में विभिन्न प्रकार के उद्योगों से हो रहे प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण की दिशा में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, चीनी मिलों सहित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की अनुसूची-I : 'विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण हेतु मानक' के अंतर्गत उद्योग विशिष्ट निस्सरण मानक अधिसूचित करता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमश: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराती हैं। अभी तक, लगभग 80 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उद्योग विशिष्ट पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

- एसपीसीबी/पीसीसी उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि परिवर्तन के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुमति की पुष्टि करते हुए राज्यों में उद्योगों को स्थापित करने/संचालित करने और प्राधिकरण के लिए सहमति जारी करती हैं। एसपीसीबी/पीसीसी निर्धारित मानकों के अनुसार औद्योगिक उत्सर्जनों/बहिस्राव निस्सरणों और अन्य प्रचालन संबंधी कार्यकलापों के अनुपालन की भी निगरानी करती हैं।

- सीपीसीबी ने उद्योगों के श्रेणीकरण संबंधी मानदंड संशोधित किए हैं और इनके अंगीकरण हेतु मार्च 2016 में सभी एसपीसीबी/पीसीसी को निदेश जारी किए हैं। यह श्रेणीकरण औद्योगिक क्षेत्र की प्रदूषण संभाव्यता पर आधारित है और इस श्रेणीकरण का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि उद्योग को पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप स्थापित किया जाए तथा औद्योगिक क्षेत्रों को स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जाए जिसके परिणामस्वरूप अन्तत: शून्य या न्यूनतम प्रदूषकों का सृजन हो। सीपीसीबी ने 254 औद्योगिक क्षेत्रों को लाल (61), नारंगी (90), हरा (65) और सफेद (38) श्रेणियों में विभाजित किया है।

*****